'मंदिर आस्था के प्रतीक हैं, इनसे हमारी विरासत मजबूत होती है'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने मातृकुंडिया में श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया

चित्तौड़गढ़/जयपुर, 10 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मंदिरों ने भारतीय परंपराओं, संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करने का काम किया है। मंदिर आस्था के प्रतीक होने के साथ ही हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के भी प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा हैं जिनसे हमारी विरासत मजबूत होती है। हमारी सरकार प्रदेश में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए निरंतर काम कर रही है।

शर्मा सोमवार को चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया के श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चित्तौड़ की धरती शूरवीरों की धरा है। इस धरती पर वीर महाराणा प्रताप, भक्त शिरोमणि मीराबाई जैसी महान विभूतियां हुई हैं। साथ ही, यह भक्ति और अध्यात्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने मातृकुंडिया के श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि "मेवाड़ का हरिद्वार" के नाम से प्रसिद्ध मातृकुंडिया में स्थापित यह मंदिर एक महत्वपूर्ण आस्था केन्द्र के रूप में उभरेगा और इस क्षेत्र को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया के श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित किया तथा मंदिर में पूजा-अर्चना की।

- **मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृकुंडिया में स्थापित यह मंदिर एक महत्वपूर्ण आस्था केन्द्र के रूप में उभरेगा और क्षेत्र को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "विकास भी और विरासत भी" की अवधारणा को मानते हुए देश में विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने प्रदेश की आवश्यकताओं को समझते हुए पहले बिजली-पानी की आवश्यकताओं पर काम किया है। प्रदेश में किसानों को दिन में बिजली देने के उद्देश्य से राज्य सरकार काम कर रही है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने तेजाजी मंदिर, मंगलेश्वर मंदिर और पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के दर्शन किए। इस अवसर पर जन-स्वास्थ्य आभियांत्रिकी कन्हैयालाल, सहकारिता राज्यमंत्री गौतम दक, सांसद सीपी जोशी, विधायक श्रीचंद कृपलानी, अर्जुनलाल जीनगर, सुरेश धाकड़, चंद्रभान सिंह आक्या, जिला कलक्टर आलोक रंजन, एस पी सुधीर जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

तिरुपति प्रसादम मिलावट केस में चार गिरफ्तार

चेन्नई, 10 फरवरी। तिरूपति-तिरुमाला मंदिर के लड्डू मिलावट विवाद के सिलसिले में सीबीआई ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें रविवार देर रात गिरफ्तार किया गया और तिरूपति की एक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

गिरफ्तार किए गए लोगों में तिरुमाला मंदिर में लड्डू बनाने के लिए घी की आपूर्ति करने वाले भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक विपिन जैन और पोमिल जैन, वैष्णवी डेयरी के अपूर्व चावड़ा और तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित एआर डेयरी के राजू राजशेखरन शामिल हैं।

- **सी.बी.आई. ने रविवार देर रात ये गिरफ्तारियां की तथा आरोपियों को अदालत में पेश किया।**

उल्लेखनीय है कि लड्डू बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे घी में जानवरों की चर्बी का उपयोग करने को लेकर विवाद पैदा होने के बाद ये गिरफ्तारियां हुईं, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की जांच के लिए नवंबर 2024 में पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

यह विवाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उठाया था, जिन्होंने राज्य में पिछली वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डू तैयार करने में चर्बी के उपयोग का आरोप लगाया था, जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था।

फोन टैपिंग के बयान पर डॉ. किरोड़ी को अनुशासनहीनता का नोटिस

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, "मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। नोटिस मिलते ही तय समय में जवाब दूँगा"

- **डॉ. किरोड़ी के लगातार बयान, पार्टी की परेशानी के कारण बने हुए हैं। सीएमओ और पार्टी की तरफ से किरोड़ी की रिपोर्ट केन्द्रीय नेतृत्व को भेजी गई थी। पर, दिल्ली चुनाव के कारण पार्टी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया था।**
- **कहते है कि प्रदेशाध्यक्ष भरत राठौड़ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से बात होने के बाद डॉ. किरोड़ी को नोटिस जारी करने का निर्णय हुआ।**

जयपुर, 10 फरवरी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा है। किरोड़ी के फोन टैपिंग के बयान को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है। किरोड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है। किरोड़ी लाल मीणा के पार्टी विरोधी बयानों को लेकर अब पार्टी ने अनुशासनहीनता का नोटिस दिया।

इस पर डॉ मीणा ने कहा कि मुझे कारण बताओ नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, नोटिस प्राप्त होते ही तय समय अवधि में पार्टी नेतृत्व को जवाब प्रेषित किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, किरोड़ी लाल मीणा लगातार अपने बयानों से पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। सीएमओ और पार्टी की तरफ से किरोड़ी की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई थी, लेकिन दिल्ली चुनाव के कारण पार्टी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था।

बताया जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात हुई और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। मदन राठौड़ आज दिल्ली पहुंच चुके हैं, मंगलवार से संसद सत्र में भाग लेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी करेंगे और इस मुलाकात में किरोड़ी पर आगे क्या एक्शन लिया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। किरोड़ी लाल मीणा की तरह ही पार्टी ने हरियाणा में भी मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने की जानकारी उन्होंने जयपुर में 4 जुलाई को एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मीडिया को दी थी।

किरोड़ी लाल मीणा को दिए गए नोटिस में लिखा है कि आप भाजपा के सदस्य हैं और भाजपा के टिकिट पर राजस्थान विधानसभा के लिए सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुये हैं। आप राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। आपने गत दिनों मंत्री परिषद से त्यागपत्र की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध करवाई एवं सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में बयान देकर भाजपा नीत सरकार पर आपने टेलीफोन टैप कराने का आरोप लगाया जो असत्य है। आपने सार्वजनिक रूप से उपरोक्त बयान दे कर भाजपा व भाजपा की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कृत्य किया। आपका उपरोक्त कृत्य भाजपा के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग की परिभाषा में आता है।

नोटिस में आगे कहा गया है कि, आपके उपरोक्त बयान को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासनहीनता माना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आपको यह "कारण बताओ नोटिस" भेजा जा रहा है। अत: आप उपरोक्त नोटिस में वर्णित आरोपों का तीन दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको उपरोक्त आरोप के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है।

'क्या ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विधानसभा सीटों का नुकसान हुआ, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवारों ने आप उम्मीदवारों की हार के मुकाबले ज्यादा वोट प्राप्त किए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज की हार इस कारण हुई क्योंकि "धर्मनिरपेक्ष वोट" का विभाजन हो गया था।

हालांकि, कांग्रेस ने दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीती, इसके बावजूद उसके नेता अरविंद केजरीवाल से 'बदला' लेकर खुश हैं। आपने पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनावों में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिससे कांग्रेस के वोट बैंक में भारी कटौती हुई। इसी तरह, आप पर गोवा में कांग्रेस का खेल बिगड़ने का आरोप लगा था। कांग्रेस की सोच है कि धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठाए रखने का जिम्मा उसी का नहीं है वो भी अपनी ही कीमत पर। शिवसेना, एन.सी.पी. , सपा और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि कांग्रेस को अलग-अलग राज्यों में छोटे क्षेत्रीय दलों को समायोजित करके 'बड़े भाई' की भूमिका निभानी चाहिए।

कांग्रेस, स्पष्ट रूप से, इस सवाल पर पुन: विचार कर रही है। बिहार में राजद के साथ सीट समायोजन की बातचीत में, कांग्रेस अपने हिस्से की मांग को लेकर कड़ी रणनीति अपनाए।

अखिलेश, केजरीवाल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहानी अलग है।

विपक्षी दलों को यह बात हजम नहीं हो रही है कि ममता बनर्जी बंगाल और देश के बाकी हिस्सों के लिए चुनावी गठबंधन के लिए अलग मानक रख रही हैं।

चाहे जो भी हो, दिल्ली चुनावों में भाजपा की किस्मत का तेजी से पलटना राष्ट्रीय आम चुनावों के मुकाबले पूरी तरह से अलग था। ममता बनर्जी इन घटनाक्रमों को लेकर निस्संदेह चिंतित हैं, लेकिन राहुल गांधी की पराजय से उन्होंने राहत की सांस ली है।

वास्तव में यह सत्य है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से हार ने भाजपा पर से उभरते राष्ट्रीय विपक्षी गठबंधन का दबाव हटा दिया। चुनाव परिणामों ने विपक्ष को विभाजित कर दिया है और इससे ममता बनर्जी के विपक्षी राजनीति में विघ्न डालने की भूमिका का महत्व भी लगभग खत्म हो गया है।

वह अपने नेतृत्व में विपक्षी एकता नहीं ला सकतीं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उनके नेतृत्व की कोई पूछ नहीं है, वह केवल एक क्षेत्रीय पार्टी की नेता हैं।

इस स्थिति में, भाजपा उन्हें लाइफ लाइन देना बंद कर देगी। बंगाल में यह माना जाता है कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक-दूसरे के सहयोगी हैं। यही कारण है कि केंद्रीय एजेंसियाँ तृणमूल कांग्रेस के कई घोटालों और उसके कुछ प्रमुख नेताओं के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर रही हैं।

अब ममता बनर्जी के लिए एक नई समस्या सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस और सत्तारुढ़ पार्टी द्वारा राज्य पुलिस प्रशासन की मदद के बाद भी प्रशिक्षू डॉक्टर के दुष्कर्म व हत्या के सबूतों से छेड़छाड़ के खिलाफ चल रहा जनांदोलन शांत नहीं हो रहा है।

अब "पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए" नारे के साथ एक नया अभियान शुरू हो गया है और "हमें न्याय चाहिए" की मांग दूर-दूर तक गूंज रही है और अब भाजपा भी इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हो रही है, जिससे वह कुछ समय से दूर थी।

जोधपुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रयोग करते हुए उन्हें कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है।

जानकारी के अनुसार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति पर वित्तीय गड़बड़ी के कई आरोप लगे थे। कुलपति की पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद भी कई परिलाभ दिए गए थे, जिसको लेकर भी कुलपति की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे। उनके खिलाफ राजकार्य में लापरवाही बरतने व विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के गंभीर आरोप थे जो जांच में सही पाए गए, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की गई।

प्रो.के.एल. श्रीवास्तव ने 14 फरवरी 2022 को कुलपति का पदभार ग्रहण किया था। वे जयनारायण व्यास विवि में ही अध्यापन का काम करवा चुके हैं। वे यहां जियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रो.के.एल. श्रीवास्तव साल 2019 में रिटायर हो गए थे। इसके बाद गहलोत सरकार ने उन्हें कुलपति बना दिया था। उन्होंने कुछ महीने ही इस्तीफा भी दिया था जिसे बाद में वापस ले लिया।

नारायण मूर्ति की कंपनी ने "दमनपूर्वक" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कंपनी द्वारा, कर्मचारियों की गुणवत्ता, क्षमता और कार्य परीक्षणों के बारे में किए गए दावों के बावजूद, आईटी कर्मचारी संघ ने कहा कि यह कदम उचित नहीं था। यूनियन ने कहा, "इन कर्मचारियों का कई बार साक्षात्कार लिया गया था और कई परीक्षाएं पास करने के बाद उन्हें कंपनी में शामिल किया गया था।

इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया है कि इन्फोसिस ने उन्हें सैपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। कर्मचारियों को जिस एग्रीमैंट पर साइन करने के लिए बाध्य किया गया उसमें बर्खास्तगी के कारणों का उल्लेख नहीं था, जैसा कि इन्फोसिस दावा कर रही है।

कर्मचारी यूनियन ने इन्फोसिस मैनेजमैंट की दबाव बनाने की रणनीति की भी निंदा की, जिसके तहत कर्मचारियों को काग़ज़ात पर हस्ताक्षर करने और बाहर जाने के लिए डराने के लिए बाउंसरों और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया था। कर्मचारियों को कैंपस छोड़ने के लिए कोई समय नहीं दिया गया और उनके नाम रोल से काटे जाने के बाद उन्हें 6 बजे से पहले कैंपस खाली करने को कहा गया।

यूनियन ने कर्नाटक सरकार से इस कथित सख्त शोषण को समाप्त करने और कंपनी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है।

राष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुंभ मेले में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आगमन के लंबे अंतराल 66 वर्षों के बाद भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019 के कुंभ में परिवार सहित पहुंच कर आस्था की डुबकी लगाई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज के कोतवाल कहे जाने वाले लेटे हनुमान मंदिर जाकर भी पूजा-अर्चना किया। मान्यता के अनुसार संगम का पुण्य तभी पूर्ण माना जाता है, जब इस मंदिर के दर्शन कर लिए जाते हैं।

'30 आप...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बड़े-बड़े वादे किए। आप ने अभी तक महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीने नहीं दिए हैं। पंजाब कांग्रेस के विधायक परगट सिंह भी ने आप पर हमला बोला था लेकिन उन्होंने बाजवा के दावे पर कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया था और कहा कि इस दावे के बारे में सिर्फ बाजवा बता सकते हैं।

उधर, जालंधर के पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता सुशील रिंकू ने कहा कि इस मीटिंग से साबित होता है कि आज भी पंजाब को दिल्ली से चलाया जा रहा है।

सांसदों के अपराधिक मामलों पर मुख्य न्यायाधीश की बड़ी पीठ सुनवाई करेगी

नयी दिल्ली, 10 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के मामले में सुनवाई पर मुख्य न्यायाधीश कोई फैसला ले सकते हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने निर्देश दिया कि इस मुद्दे को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए रखा जाए।

पीठ ने यह निर्देश देते हुए कहा इस मसले को दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा फिर से खोलना अनुचित होगा, क्योंकि तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पहले ही अपने फैसले में इस मामले में सुनवाई की थी।

शीर्ष अदालत अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर 2016 की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से दोषी व्यक्तियों के लिए एक समान अयोग्यता की मांग की गई थी। साथ ही, उन आपराधिक मामलों के फैसले के लिए एक साल की समयसीमा निर्धारित करने की मांग की गई है। अदालत के समक्ष न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने राजनेताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर एक अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत की।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कई अदालती आदेशों के बावजूद, 42 फीसदी मौजूदा लोकसभा सदस्य अभी भी आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से कुछ 30 साल से अधिक समय से लंबित हैं।

उन्होंने अन्य मामलों को संभालने वाली विशेष एमपी/एमएलए अदालतों, अत्यधिक स्थगन और सख्त प्रक्रियात्मक प्रवर्तन की कमी सहित प्रमुख बाधाओं को उजागर किया।

एसआई पेपर लीक में आरपीएससी अध्यक्ष व एसओजी के एडीजी आज पेश होंगे

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती परीक्षा निरस्त करने के बारे में सभी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिये

जयपुर, 10 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक प्रकरण में प्रकरण के एसओजी के एडीजी को मंगलवार को व्यक्तिश: पेश होने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने आरपीएससी के चेयरमैन को कहा है कि वे इस दौरान वीसी के जरिए अदालत में पेश हों। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने राज्य सरकार को मामले में महाधिवक्ता, कैबिनेट सब कमेटी और एसओजी की ओर से भर्ती परीक्षा निरस्त करने को लेकर चली नोटशीट सहित अन्य दस्तावेज पेश करने को कहा है।

- **अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि जाँच में दोषी पाये गये ट्रेनी एसआई पर सरकार कार्यवाही करना चाहती है, पर, अदालत के यथास्थिति के आदेश के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकती।**
- **एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि ईडी में यह प्रकरण दर्ज है, इसलिये वे न्याय मित्र की भूमिका नहीं निभा पायेंगे।**

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि मामले में अब तक की जांच में दोषी ट्रेनी एसआई पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन अदालत की ओर से यथा-स्थिति के आदेश होने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसे में अदालत को इन पर कार्रवाई की छूट दी जाए। इस पर अदालत ने कहा कि सरकार किन-किन ट्रेनी एसआई पर कार्रवाई करना चाहती है, उनके नामों का खुलासा करे। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे परीक्षा में शामिल होकर असफल हुए हैं और उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका पेश की है। ऐसे में उन्हें मामले में सुनवाई का अधिकार कैसे है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्होंने मामले में भर्ती से जुडे किसी नियम को चुनौती नहीं दी गई। इसलिए उन्हें याचिका दायर करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता की ओर से पेपर लीक को लेकर आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका के साथ ही अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचने के तरीके की जानकारी भी दी गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई मंगलवार तक टालते हुए दोनों अधिकारियों को वीसी और व्यक्तिश: पेश होने को कहा है।सुनवाई के दौरान एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने अदालत को बताया कि मामले में ईडी ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और वे ईडी का पक्ष रखते हैं। वे प्रकरण में न्यायमित्र की भूमिका नहीं निभा पाएंगे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908